

क्रमांक

नगर पालिक निगम, जगदलपुर जिला बस्तर

वार्ड क्रमांक

सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र वर्ष

1. सम्पत्ति के स्वामी का नाम
2. पिता /पति का नाम
3. पता
4. दूरभाष नं. /मोबाईल
5. भवन का प्रकार
6. भवन निर्माण की अवधि
7. भूखण्ड का क्षेत्रफल
8. आवासीय जोन क्र. व्यवसायिक जोन क्र. आद्योगिक जोन क्र.
9. निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में) भूतल. भूतल. भूतल.
प्रथम तल. प्रथम तल. प्रथम तल.
द्वितीय तल. द्वितीय तल. द्वितीय तल.
अन्य तल. अन्य तल. अन्य तल.
भू-गत तल. भू-गत तल. भू-गत तल.
10. खुली भूमि का विवरण - व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही आद्योगिक उपयोग में लाई जा रही
खुली भूमि का क्षेत्रफल. खुली भूमि का क्षेत्रफल.
11. आवासीय भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाडा मूल्य व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाडा मूल्य. आद्योगिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाडा मूल्य.
12. कुल वार्षिक भाडा मूल्य
13. 10 प्रतिशत रख-रखाव की छूट के पश्चात् वार्षिक भाडा मूल्य
14. पुराने भवन की छूट के पश्चात् वार्षिक भाडा मूल्य.
15. स्वयं रहवास या किराये पर
16. शुद्ध देय सम्पत्ति कर (.....प्रतिशत) :
17. पूर्णतः आवासीय भवन में स्वामी के स्वयं रहवास पर 50 % छूट के पश्चात् सम्पत्तिकर.
18. समेकित कर
19. विलम्ब/अधिभार शुल्क
20. विवरणी प्रपत्र शुल्क
21. कुल देय राशि
22. कुल प्राप्त राशि

सत्यापन

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

में. आत्मज. निवासी.
यह सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दी गयी जानकारी सही है और यह कि मैंने जिस भवन/भूमि के संबंध में विवरणी दी है, उसका मैं स्वामी हूँ।
स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

पावती

विवरणी के अनुक्रमांक 22 में उल्लेखित राशि रूपये (अंकों में) (शब्दों में)
रसीद क्र. दिनांक द्वारा प्राप्त हुई।

प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
(पूरा नाम व पदनाम भी अंकित किया जाये)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम 2001 (क्र.01 सन् 2002) की धारा 135 के अनुसार निगम क्षेत्र में स्थित आवासीय / आवासीय सह व्यवसायिक / व्यवसायिक / औद्योगिक के उपयोग के भवनों / भूमियों के कुल वार्षिक भाडा मूल्य के सम्पत्ति कर के वित्तीय वर्ष.....के लिए नियमानुसार देय पारित किया जाता है।

क्रं.	शुद्ध वार्षिक भाडा मूल्य अवधारण की गई सम्पत्ति	कर मूल्य वार्षिक सम्पत्ति कर की दर प्रतिशत में
1	2	3
1	6000 रुपये वा. भा. मू. तक	कर मुक्त
2	6000 से अधिक 12000 तक	6 प्रतिशत
3	12001 से 1,00,000 तक	8 प्रतिशत
4.	1,00,001 से 1,50,000 तक	10 प्रतिशत
5.	1,50,001 से 2,00,000 तक	15 प्रतिशत
6.	2,00,001 से 2,50,000 तक	18 प्रतिशत
7.	2,50,001 से ऊपर	20 प्रतिशत

2. विशेष छूट :- नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अन्तर्गत मात्र चलित वित्तीय वर्ष के लिये एक मुश्त भुगतान करने पर निम्नानुसार छुट दिया जाता है।

- 1 अप्रैल से 31 मई तक 6.25 प्रतिशत की छूट।
- 1 जून से 31 जुलाई तक 5 प्रतिशत की छूट।
- 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक 4 प्रतिशत की छूट।
- 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक 2 प्रतिशत की छूट।

3. अधिभार प्रभारित :- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात पूर्व के बकाया देय करों पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त अधिभार राशि प्रभारित किया जाता है।

5. नियम :-

1. नगरपालिक निगम क्षेत्र का प्रत्येक भवन या भूमि स्वामी अपनी सम्पत्ति का वार्षिक भाडा मूल्य और देय सम्पत्तिकर की राशि की गणना नियम 8 के उपबंध के अनुसार स्वयं करेगा।
2. यदि कोई व्यक्ति नगर पालिक निगम क्षेत्र में एक से अधिक भवन या भूमि का स्वामी है तब ऐसे प्रत्येक भवन / भूमिस्वामी प्रत्येक भवन / भूमि के लिये पृथक-पृथक विवरणी सहित कर की राशि का भुगतान करेगा।
3. उपरोक्तानुसार जिस तारीख को विवरणी प्रस्तुत की गई हो, उस तारीख से 60 दिन के भीतर यदि भवन या भूमि स्वामी उसके द्वारा की गई विवरणी में कोई त्रुटि पाता है, तब ऐसी भवन या भूमि स्वामी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा, और पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार सम्पत्तिकर की राशि अधिक होती है, तब पुनरीक्षित विवरणी के साथ ऐसी राशि नगर पालिक निगम में जमा करेगा। परन्तु यदि पुनरीक्षित विवरणी अनुसास पूर्व में जमा की गई सम्पत्ति कर की राशि अधिक थी, तब ऐसी वह अधिक राशि को वापस करने की मांग कर सकेगा।
4. भवन स्वामी द्वारा अपनी सम्पत्ति कर का गलत विवरणी प्रस्तुत करने पर जाँच उपरान्त भवन स्वामी से देय राशि के अंतर की राशि का 5 गुना अधिक आर्थिक दंड देय होगा।
5. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत छूट।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
जगदलपुर

व्यय भवन/औद्योगिक भवन मुख्य सड़क/मुख्य बाजार पर			व्यय भवन/औद्योगिक भवन मुख्य सड़क/मुख्य बाजार पर			आवासीय भवन मुख्य सड़क/मुख्य बाजार पर			आवासीय भवन मुख्य सड़क/मुख्य बाजार पर		
आर.सी.सी./आरबीसी/पत्थर की छत युक्त पक्के भवन	सीमेंट लोहे की चादर या केवल टाईल्स की छत युक्त	अन्य आंशिक कच चे-पक्के भवन	आर.सी.सी./आरबीसी/पत्थर की छत युक्त पक्के भवन	सीमेंट लोहे की चादर या केवल टाईल्स की छत युक्त	अन्य आंशिक कच चे-पक्के भवन	आर.सी.सी./आरबीसी/पत्थर की छत युक्त पक्के भवन	सीमेंट लोहे की चादर या केवल टाईल्स की छत युक्त	अन्य आंशिक कच चे-पक्के भवन	आर.सी.सी./आरबीसी/पत्थर की छत युक्त पक्के भवन	सीमेंट लोहे की चादर या केवल टाईल्स की छत युक्त	अन्य आंशिक कच चे-पक्के भवन
वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट	वार्षिक भाड़ा प्र. वर्गफुट
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.00	45.00	35.00	45.00	35.00	25.00	25.00	20.00	15.00	20.00	15.00	10.00
45.00	35.00	25.00	40.00	25.00	20.00	20.00	15.00	10.00	15.00	10.00	08.00
45.00	35.00	25.00	40.00	25.00	20.00	20.00	15.00	10.00	15.00	10.00	08.00
45.00	35.00	25.00	40.00	25.00	20.00	20.00	15.00	10.00	15.00	10.00	08.00
40.00	25.00	20.00	35.00	25.00	15.00	20.00	15.00	10.00	15.00	10.00	05.00

परिक्षेत्र क्र. 01

आवासीय :-

व्यवसायिक (वाणिज्यिक) :-

प्रताप देव वार्ड, सदर वार्ड, बालाजी वार्ड, मोतीलाल नेहरू वार्ड।

प्रताप देव वार्ड, सदर वार्ड, बालाजी वार्ड, मोतीलाल नेहरू वार्ड।

परिक्षेत्र क्र. 02

आवासीय :-

व्यवसायिक (वाणिज्यिक) :-

सुभाषचंद्र बोस वार्ड, रमैया वार्ड, इंदिरा वार्ड, सिविल लाइन वार्ड।

सुभाषचंद्र बोस वार्ड, रमैया वार्ड, इंदिरा वार्ड, सिविल लाइन वार्ड।

परिक्षेत्र क्र. 03

आवासीय :-

महारानी वार्ड, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड, संतोषी वार्ड, गुरुघासीदास वार्ड, डॉ. अब्दुल कलाम वार्ड।

परिक्षेत्र क्र. 04

आवासीय :-

दन्तेश्वरी वार्ड, दलपत सागर वार्ड, राजेन्द्र नगर वार्ड, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, गंगानगर वार्ड, अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड, गुरुगोविन्द सिंह वार्ड, छत्रपति शिवाजी वार्ड, राजीव गांधी वार्ड, संजय गांधी वार्ड, शांति नगर वार्ड, लोकमान्य तिलक वार्ड, गांधी नगर वार्ड, पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड।

परिक्षेत्र क्र. 05

आवासीय :-

प्रवीर वार्ड, भैरमदेव वार्ड, वीरसावरकर वार्ड, भगत सिंह वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, अम्बेडकर वार्ड, रविन्द्र नाथ टैगोर, मदरटेरेसा वार्ड, जवाहर नगर वार्ड, विवेकानंद वार्ड, शिवमंदिर वार्ड, अनुकूल देव वार्ड, विजय वार्ड

व्यवसायिक (वाणिज्यिक) :-

प्रवीर वार्ड, भैरमदेव वार्ड, वीरसावरकर वार्ड, भगत सिंह वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, अम्बेडकर वार्ड, रविन्द्र नाथ टैगोर, मदरटेरेसा वार्ड, जवाहर नगर वार्ड, विवेकानंद वार्ड, शिवमंदिर वार्ड, अनुकूल देव वार्ड, विजय वार्ड